संख्या-14/2019/1562/22-2-2018-17(419)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नवाब सिंह पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-दया0 **(**दिनांक 07.08.2018**)** दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी नवाब सिंह पुत्र श्री प्यारे लाल, जो-आखूनपुर, थाना-कायमगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 18.05.1985 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमन्चा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-327/1989 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-2), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 22.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2017 तक 08 वर्ष 02 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष 10 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने**,** बंदी अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी के कारित अपराध**,** काटी गयी सजा एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी नवाब सिंह (बन्दी संख्या-24160) पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-14/2019/1562(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in